भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 828

जिसका उत्तर 24.07.2025 को दिया जाना है

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग

828. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के धाराशिव में वाशी फाटा (एनएच-211) से दशमेगांव-मांडवा-मोह-खामसावाड़ी-गोविंदपुर फाटा तक राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) धाराशिव में ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली प्रस्तावित राजमार्ग परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का धाराशिव जैसे आकांक्षी जिलों के सामाजिक-आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए सड़क परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रस्तावित राजमार्ग के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट या सर्वेक्षण शुरू किया गया है, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(च) क्या प्रस्तावित राजमार्ग से एक लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है और क्या यह आकांक्षी जिलों की विकास योजना के अनुरूप है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार उक्त सड़क परियोजना को प्राथमिकता देगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) क्या सरकार ने धाराशिव जैसे आकांक्षी जिलों में अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं, विशेष रूप से सड़क संपर्क के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ज) सरकार को समय-समय पर विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटीएस) से राज्यीय राजमार्गों (एसएच) सहित राज्यीय सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के रूप में घोषित/उन्नयन करने के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के व्यापक सिद्धांतों, संपर्कता की आवश्यकता, यातायात सघनता, परस्पर प्राथमिकता और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। वर्तमान में, महाराष्ट्र के धाराशिव में वाशी फाटा (एनएच-211) से दशमेगांव-मांडवा-मोह-खामसावाड़ी-गोविंदपुर फाटा तक की सड़क को इसके बाद के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, संपर्कता की आवश्यकता, यातायात सघनता, परस्पर प्राथमिकता और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल को ध्यान में रखते हुए, सूरत-नासिक-चेन्नई हाई स्पीड कॉरिडोर खंड का विकास कार्य प्रारंभ किया गया है।

*****